झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा | द्वितीय (बजट) सत्र
संख्या-09 | सोमवार, दिनांक-16 मार्च, 2020 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 05.16 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.विविध चर्चायें:-

i- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा पूरे देश मे फैले हुए कोरोना वायरस जैसी गम्भीर बीमारी पर सरकार के स्तर पर इससे बचने की तैयारी पर वक्तव्य की माँग की गयी। इन्होंने यह भी आग्रह किया कि गोड्डा मे अडाणी कम्पनी मे हजारों चाईनिज कार्यरत है जिनकी जाँच सबसे अधिक आवश्यक है,

ii- माननीय सदस्य, श्री नवीन जयसवाल द्वारा राज्य मे ओलावृष्टि से फसलों की हुई क्षति के लिए किसानों को मुआवजा देने की माँग की गयी,

iii- माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा आसन के माध्यम से सरकार से आग्रह किया गया कि देश के बाहर काम करनेवाले मजदूर एवं अन्य व्यक्ति जब अपने देश मे लौट रहे है तो उनकी जाँच की क्या व्यवस्था की गयी है,

iv- माननीय सदस्य, श्री उमाशंकर अकेला द्वारा हजारीबाग जिलान्तर्गत चौपारण प्रखण्ड के बच्छई से लापता नारायण यादव की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया गया,

v- माननीय सदस्य, श्री स्टीफन मराण्डी ने आसन के माध्यम से सरकार से आग्रह किया कि कोरोना वायरस को देखते हुए विभिन्न प्रतिष्ठानों को अगले आदेश तक बन्द किया जाय।

2.कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना:-

माननीय सदस्य, श्री नवीन जयसवाल द्वारा राज्य मे बेमौसम हुई बारिश तथा ओलावृष्टि के कारण हुई फसलों की जबर्दस्त क्षति तथा माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा कोरोना वायरस से बचाव सम्बन्धी दिये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को नियमानुकूल नहीं होने के कारण आसन द्वारा अमान्य किया गया।

(शोरगुल)

3.प्रश्नकाल:-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-19

(क) उत्तरित कुल-02, अ० सू०-74 श्री बंधु तिर्की, स० वि० स०,
(उक्त विषय की गम्भीरता को देखते हुए इसपर समिति बनाये जाने की घोषणा आसन से की गयी।)
अ० सू०-75 श्री प्रदीप यादव, स० वि० स०।

(ख) स्थगित मात्र-01, अ० सू०-76 श्री दीपक बिरूवा, स० वि० स०।

कृ०पृ०उ०

(ग) अनागत मात्र-16, अ० सू०-77 से अ० सू०-92 तक।

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या-32

(क) उत्तरित कुल-07, तारां०-298 श्री मथुरा प्रसाद महतो, स० वि० स०,
तारां०-299 श्री जय प्रकाश भाई पटेल, स० वि० स०,
तारां०-300 श्री दशरथ गागराई, स० वि० स०,
तारां०-301 श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स० वि० स०,
(अनुमति से माननीय सदस्य, श्री भूषण बाड़ा द्वारा प्रश्न पूछा गया।)
तारां०-302 श्री राजेश कच्छप, स० वि० स०,
तारां०-303 श्री अमित कुमार यादव, स० वि० स०,
(अनुमति से माननीय सदस्य, श्री उमाशंकर अकेला द्वारा प्रश्न पूछा गया।)
तारां०-304 सुश्री अम्बा प्रसाद, स० वि० स०।

(ख) अनागत कुल-25, तारां०-305 से तारां०-329 तक।

(इस अवसर पर आसन की अनुमति से माननीय कृषि मंत्री, श्री बादल द्वारा राज्य में हुई ओलावृष्टि के कारण की जा रही अद्यतन कार्रवाई से सदन को अवगत कराया।)

4.मुख्यमंत्री प्रश्नकाल:-

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-52 के तहत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछे गये जिनका उत्तर उन्हें दिया गया-

क्र०सं०	माननीय सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय
01	श्री बाबूलाल मराण्डी एवं अन्य	झारखण्ड राज्य में भी कोरोना वायरस को मेडिकल इमरजेंसी घोषित करना।
02	श्री अमित कुमार मण्डल	अन्य राज्यों की भाँति झारखण्ड राज्य में भी ओ.बी. सी. को 27 प्रतिशत आरक्षण देना।
03	श्री दशरथ गागराई	झारखण्ड राज्य में जनजातीय भाषाओं के उन्नयन हेतु एकेडमी खोलना।
04	श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता	माननीय सदस्य द्वारा पलामू में पथ के दोहरीकरण सम्बन्धी प्रश्न पूछा गया जिसके नीतिगत विषय नहीं होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर नहीं दिया गया।

5.शून्यकाल:-

आज के लिए प्राप्त कुल-26 शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ मानते हुए लिखित उत्तर हेतु सम्बन्धित विभागों को भेजे जाने का निदेश आसन से दिया गया।

6.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना:-

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा भुखलाध्वासी नामक व्यक्ति के मौत की उच्चस्तरीय जाँच हेतु आसन के माध्यम से सरकार से आग्रह किया गया।)

i- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

ii- माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र सिंह एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iii- माननीय सदस्य, श्री सुदेश कुमार महतो से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

क्र० पृ०उ०

माननीय सदस्य, श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अपृष्ट हुआ।

7.वित्तीय कार्य:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, श्री जगरनाथ महतो द्वारा वित्तीय वर्ष-2020-21 के आय-व्ययक मे सम्मिलित अनुदानों की माँगो खण्ड-04 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्च तकनीकी एवं कौशल विकास विभाग, (उच्च शिक्षा प्रभाग), उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेन्ड्री शिक्षा प्रभाग) एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग) प्रस्तुत किया गया जिसपर माननीय सदस्य, श्री सरयू राय द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

8.वित्तीय कार्य (क्रमांक-07 से जारी):-

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत माँगो पर माननीय सदस्य, श्री सरयू राय द्वारा चर्चा प्रारम्भ की गयी तदुपरांत निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी भाग लिया-

श्री वैद्यनाथ राम,

डॉ० नीरा यादव,

डॉ० इरफान अंसारी,

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री सुदिव्य कुमार द्वारा आसन के माध्यम से सरकार से आग्रह किया गया कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जारी आदेश कि मार्च के महीने में कोषागारों द्वारा मात्र 15 प्रतिशत की राशि का ही बकाये विपत्रों का भुगतान होगा, इस प्रतिबन्ध को निरस्त किया जाय तथा श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह ने धनबाद के एक महाविद्यालय को अन्यत्र स्थानान्तरित करने सम्बन्धी आदेश को भी निरस्त करने का अनुरोध किया।)

इस क्रम मे सदन नेता सह माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन द्वारा भोजनावकाश के दौरान कोरोना वायरस को लेकर की गयी समीक्षा के दौरान लिये गये निम्नांकित निर्णयो से सदन को अवगत कराया गया-

i- झारखण्ड राज्य के सभी मेडिकल एवं जिला अस्पतालो मे आईसोलेशन सेन्टर की स्थापना किये जाने हेतु कार्रवाई ली जा रही है,

ii- पब्लिक सेक्टर के अस्पतालों को भी आईसोलेशन सेन्टर की स्थापना हेतु निदेश दिये जा रहे है,

iii- फिलहाल एम.जी.एम. अस्पताल, जमशेदपुर मे कोरोना वायरस जाँच हेतु लैब है, अतएव राज्य के शेष अन्य अस्पतालों, चिह्नित जिलो व प्रखण्डों मे भी इसकी व्यवस्था की जा रही है,

iv- तीन सौ चिकित्सक एवं पारा-मेडिकल्स को प्रशिक्षित किया गया है तथा नियम के अनुसार सभी जिला उपायुक्तो को निदेश जारी कर दिया गया है कि जो भी संदिग्ध व्यक्ति हों उनकी जाँच करायें तथा जो इससे भागते हों उनपर नियमानुसार कार्रवाई की जाय,

v- राज्य सरकार द्वारा आईसोलेशन सेन्टर एवं एतद सम्बन्धी उपकरणों के निमित्त 200 करोड़ रुपये चिह्नित की गयी है ताकि कोरोना से लड़ने मे आर्थिक बाधा न आये,

vi- दिनांक-17 मार्च, 2020 से लेकर 14 अप्रैल, 2020 तक सभी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पुल, चिड़ियाघर, पार्क, म्युजियम आदि को बन्द रखने हेतु आदेश जारी किये गये है,

क्र०पृ०उ०

vii- सभी रेलवे स्टेशनों एवं अन्यत्र हेल्प डेस्क बनाये गये है तथा बच्चों के लिए अलग से आईसोलेशन सेन्टर बनाये जाने हेतु निदेश दिये गये है,

viii- आज के बाद सदन चलने तक सभी दर्शक दीर्घायें बन्द रखने हेतु आसन से अनुमति माननीय मुख्यमंत्री द्वारा माँगी गयी,

ix- विदेशों से आनेवाले व्यक्तियों को ट्रैक किये जाने हेतु निदेश दिये गये है, फिलहाल बाहर से आए हुए 488 व्यक्तियों को चिह्नित किया गया है जिनमें 175 व्यक्तियों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाये गये,

x- बस मालिकों को निदेश जारी किये जा रहे है कि वे टिकट लेनेवाले यात्रियों के मोबाईल नम्बर अवश्य प्राप्त कर लें ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन उनसे सम्पर्क कर सके,

xi- छात्रावासों को बन्द करते समय गरीब बच्चों को अपनी निगरानी में ही रखें,

xii- चूँकि बड़े महानगरों में बड़े पैमाने पर लोग कार्यरत है, अतएव बन्द की स्थिति में उनके रोजगार का ध्यान सरकार रखेगी,

xiii- सिनेमा घरों एवं मॉलों आदि बन्द की स्थिति में भी इनमें कार्यरत कर्मियों के वेतन में इनके मालिक कटौती न करें, ऐसा निदेश श्रम नियोजन विभाग को भी जारी किया जा रहा है, 15 दिनों के पश्चात् पुनः इनकी समीक्षा होगी और तदनुसार आगे की रणनीति बनायी जा सकेगी,

xiv- स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ सभी जिला उपायुक्त इसपर अपनी कड़ी निगरानी रखेंगे,

xv- जेलों में आनेवाले नये कैदियों को तत्काल अलग वार्ड में रखा जायेगा और जाँचोपरांत बाद में सामान्य वार्ड में स्थानान्तरित किया जा सकेगा,

xvi- धार्मिक स्थलों में श्रद्धालु फिलहाल वहाँ जाने से परहेज करें, इसपर माननीय सदस्यों के सुझाव भी सादर आमंत्रित है, वे अपने-अपने क्षेत्रों में जागरूकता भी फैलायें।

(इस अवसर पर सरकार के उत्तर पर्यन्त सभा का समय विस्तारित किया गया।)

<u>9.वित्तीय कार्य (क्रमांक-08 से जारी)</u>:-

श्री प्रदीप यादव,
श्री मथुरा प्रसाद महतो,
श्री इन्द्रजीत महतो,
श्री लम्बोदर महतो एवं
श्री बंधु तिर्की।

सरकारी उत्तरोपरांत प्रभारी मंत्री, श्री जगरनाथ महतो द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष-2020-21 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की माँगे खण्ड-04 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्च तकनीकी एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग), उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेन्ड्री शिक्षा प्रभाग) एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग) सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुई एवं माननीय सदस्य, श्री सरयू राय द्वारा कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।

(सरकारी उत्तर के क्रम में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन का परित्याग किया गया।)

10.आसन से घोषणा:-

कोरोना वायरस को देखते हुए झारखण्ड सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में सदन चलने तक पदाधिकारी एवं पत्रकार दीर्घा को छोड़कर अन्य दीर्घायें बन्द रखे जाने की घोषणा आसन से की गयी तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक-17 मार्च, 2020 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिये स्थगित की गयी।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।

राँची,
दिनांक- 16 मार्च, 2020ई०।